न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2013

रायसिंह पिता सुखदेव सिंह गोड़, निवासी–ग्राम बकही तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

––आवेदक

बनाम

मानसिंह पिता ददुनिया गोड़, निवासी–ग्राम बकही तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

–––अनावेदक

न्यायालय अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक–281/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2013 के विरूद्ध म.प्र भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, आवेदक की माँ का स्वर्गवास हो गया था। वह बचपन से ही अपनी बुआ पुनिया बाई पत्नि स्व. श्री लक्ष्मण सिंह के साथ रहा उन्ही ने आवेदक का पालन किया है।
2. यह कि, दिनांक 7/01/1991 को आवेदक के पक्ष में विधिवत् रजिस्ट्रीकृत गोदनामा संपादित किया था। तदनुसार नामांतरण पंजी क्रमांक–4 पर दिनांक 13/05/1991 को तहसीलदार महोदय, अनूपपुर द्वारा आवेदक के नाम नामांतरण आदेश पारित किया गया था।
3. यह कि, अनावेदक द्वारा दिनांक01/06/2004 को लगभग 13 वर्ष पश्चात् फर्जी अरजिस्ट्रीकृत गोदनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रथम अपील की गई।
4. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक–3/अपील/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 19/04/2005 द्वारा अनावेदक का अरजिस्ट्रीकृत गोदनामा प्रमाणिक न पाते हुए,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्र. क्र.–निग.–4047–तीन/2013 जिला–अनूपपुर

रायसिंह विरूद्ध मानसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 –12–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.डी.शर्मा व अनावेदक अभिभाषक के.के. द्विवेदी उपस्थित । 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण क्रमांक 281/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–09–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम बकही की प्रश्नाधीन भूमि किता 18 रकबा 17.96 एकड़ की भूमि का मूल भूमिस्वामी लक्ष्मण सिंह गौंड़ था। लक्ष्मण सिंह निःसंतान था, इसलिये लक्ष्मण सिंह ने अपने रिस्ते के नाती अनावेदक मानसिंह को पुत्र बनाकर रख लिया था। लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी पुनिया बाई ने अपने भाई के लड़के रायसिंह को गोद ले लिया था तथा गोदनामा का पंजीयन क्रमांक 85 दिनांक 07–01–1991 को निष्पादन कराया था। आवेदक ने गोदनामा के आधार पर नामांतरण का आवेदन तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष पेश किया था। तहसीलदार अनूपपुर ने गोदनामा के आधार पर आवेदक के पक्ष में नामांतरण पंजी क्र. 04 पर दिनांक 13–05–1991 को स्वीकार किया था। नामांतरण सम्बन्धी जानकारी होने पर अनावेदक मानसिंह ने स्वयं को लक्ष्मण सिंह का वारिस बताते हुये तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 13–05–1991 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के न्यायालय में पेश की । 13–05–1991 के नामांतरण करने के पूर्व तहसीलदार को इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करना था कि मृतक भूमिस्वामी के वारिस रायसिंह को विधिवत गोद लिया	

18/12/18

गया था अथवा नहीं। और क्या आवेदक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी प्रश्नाधीन भूमि का हितबद्ध पक्षकार था, जिसे सुनवाई का अवसर ना दिया गया हो। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर अपील निरस्त करने में त्रुटि की है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने माना है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्षों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना–अपना दावा पेश किया है । प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त भूमि का वारिस कौन है? क्या पुनिया बाई ने विधिवत गोदनामे के आधार पर आवेदक रायसिंह को गोद लिया था? क्या प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को स्वत्व प्राप्त है। तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का गंभीरता से अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित किया है, जबकि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी को इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक था, जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह भी है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश दिनांक 13–05–1991 को पारित किया गया था किन्तु हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 13–05–1991 का क्रियान्वयन 11 वर्ष पश्चात वर्ष 2001–02 में खसरे में अंकित किया गया, जिससे उक्त नामांतरण संदिग्ध प्रतीत होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन बिन्दुओं पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है उसमें अनियमितता प्रकट होती है और इसी कारण अपर आयुक्त शहडोल ने प्रकरण का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है, जिसमें अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती ।

4/ उपरोक्त विवेचना के अधार पर अपर आयुक्त शहडोल का प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 12–09–2013 स्थिर रखा जाता है तथा निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन) 18.12.18
सदस्य